IV 33

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 989856

न्यास (ट्रस्ट) विलेख

यह न्यास विलेख आज दिनांक 10.05.2019 को **देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर परगना झिंझाना तहसील ऊन जिला शामली राज्य उ0प्र0 ADHAR NO. 8812 4674 8935 MOB.NO. 9758066516** जिसे आगे संस्थापक कहा गया है के द्वारा निष्पादित किया गया।

विदित हो कि संस्थापक काफी समय से समाज के सामान्य व्यक्तियो के लिए एवं आर्थिक रूप से कमजोर पिछडे समाज की उन्नति एवं शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र मे सहायता के लिए तथा अन्य धर्मात कार्यो हेतु सुविधॉए उपलब्ध कराने का इच्छुक है।

PRINCIPAL
ST. R.C. ... SCHOOL
UNN, PI... T.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 137373

और चूंकि संस्थापक इच्छुक है कि ट्रस्ट उपरोक्त उददेश्यो को पूरा करे और उन सभी कार्यक्रमो तथा क्रियाकलापो जिन्हे ट्रस्ट के सदस्य उचित समझे क्रियान्वित करें और चूंकि ट्रस्ट के ट्रस्टी के उददेश्यो को पूरा करने के लिए सहमत है। अतः मैं देवेन्द्र कुमार संस्थापक सेन्ट आर सी एजूकेसनल वैलफेयर ट्रस्ट की स्थापना करता हूँ तथा उपरोक्त उददेश्यो को पूरा करने हेतु प्रारम्भिक रुप से 11,000/–रु० ट्रस्ट को देता हूँ जिसे ट्रस्टी मुख्य उददेश्यो एवं अन्य धर्मात् कार्यो को पूरा करने के लिए संचित करेंगे। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के पास कोई चल या अचल सम्पत्ति नही है तथा जिस बिल्डिंग मे ट्रस्ट का कार्यालय है वह बिल्डिंग भी ट्रस्ट की नही है।

उपरोक्त संस्था को चलाने के लिए निम्नलिखित व्यक्तिय ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें:–

1. अमित कुमार पुत्र श्री चैनपाल सिंह निवासी ग्राम पिन्डौरा जहाँगीरपुर तहसील ऊन जिला शामली (अध्यक्ष)।

2. अरविन्द कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पीरखेडा जिला मु०नगर (सचिव)।

3. विजय कुमार पुत्र श्री ब्रजपाल सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर जिला शामली (कोषाध्यक्ष)।

4. प्रवीण कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह निवासी पानीपत (उपाध्यक्ष)।

5. सचिन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम भाजू जिला शामली (सदस्य)।

6. योगेश कुमार पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर जिला शामली (सदस्य)।

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

आवेदन सं०: 201900706005776

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 33 वर्ष: 2019

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 900 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 220 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 300

श्री देवेन्द्र कुमार ,
पुत्र श्री रामपाल सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: सिकन्दरपुर जिला शामली

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 10/05/2019 एवं 11:37:28 AM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

तरूण शर्मा प्र०
उप निबंधक :कैराना
शामली
10/05/2019

तरूण शर्मा
निबंधक लिपिक

क्र० सं० 2 ... 10 May 2019 ... 186 ...
क्रमांक 1 ... 14 ...
प्रवीण कुमार बस्ता लिपिक उप निबंधक कैराना शामली

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 137374

7. मनीष कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मंगलोर जिला हरिद्वार (सदस्य)।

8. विपिन कुमार पुत्र श्री ब्रहम सिंह निवासी ग्राम यंढीनौआबाद जिला मु0नगर (सदस्य)।

9. चैनपाल पुत्र श्री कदम सिंह निवासी ग्राम पिन्डौरा जहाँगीरपुर तहसील ऊन जिला शामली (सदस्य)।

10. उदयवीर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पिन्डौरा जहाँगीरपुर तहसील ऊन जिला शामली (सदस्य)।

ट्रस्ट का नाम–

1. ट्रस्ट का नाम सेन्ट आर सी ऐजूकेशनल वैलफेयर ट्रस्ट होगा।

स्थान–

1. इस ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ग्राम पिन्डौरा जहाँगीरपुर तहसील ऊन जिला शामली राज्य उ0प्र0 (भारत) होगा। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी संस्थापक की सहमति से मुख्य कार्यालय अथवा इसके अन्तर्गत कोई अन्य शिक्षा संस्थान, अन्य संस्थान भारतवर्ष मे कहीं पर भी खोल सकते है अथवा स्थानान्तरित कर सकते है और आवश्यकतानुसार विदेश मे भी कार्यालय खोल सकते है।

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

आवेदन सं०: 201900706005776

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 33 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री देवेन्द्र कुमार, पुत्र श्री रामपाल सिंह

निवासी: सिकन्दरपुर जिला शामली

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री ब्रजपाल, पुत्र श्री ब्रहम सिंह

निवासी: सिकन्दरपुर जिला शामली

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री अरविन्द, पुत्र श्री जयपाल

निवासी: सिकन्दरपुर जिला शामली

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

तरूण शर्मा प्र०

उप निबंधक : कैराना

शामली

तरूण शर्मा

निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 137375

27 APR 2023

4

ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य–

1. यह कि ट्रस्ट उक्त राशि अंकन 11,000/–रु० जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य मे ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद, राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टी को समय–समय पर धारण करेंगें तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टी आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगें।

उक्त ट्रस्ट को समस्त भारतवर्ष मे से तथा अन्य किसी भी देश–विदेश से कही से भी दान प्राप्त करने का सहयोग प्राप्त करने का ट्रस्ट के उचित संचालन हेतु कहीं से भी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पूरा अधिकार होगा।

2. यह कि ट्रस्टी फण्ड तथा ट्रस्ट जिसकी पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा सर्व धर्म के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य तथा शिक्षण संस्थाओ व कार्याशालाओ की स्थापना एवं संचालन सुविधा के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा ट्रस्टी को समय–समय पर आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के उद्देश्य मे परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

3. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यो को पूर्ति के लिए ट्रस्टी को समय–समय पर भूमि का ग्रहण/अधिग्रहण/सरकारी/गैर–सरकारी संस्थाओ/व्यक्तियो संस्थाओ या विभागो मे पूर्ण अधिकारी होगा।

4. यह कि उद्देश्य के अतिरिक्त स्थापित उद्देश्यो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टी ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समक्ष या किसी भाग को शिक्षा के क्षेत्र मे सामाजिक क्षेत्र मे जितनी मात्रा मे चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 137376

5. यह कि समाज के सम्पन्न वर्ग को सामाजिक, धार्मिक कार्यो मे अपने धन को खर्च करने की प्रेरणा देना।

6. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर–सरकारी, संस्थाओ, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि से नकद दान एवं वस्तु के रूप मे सहायता स्वीकार करना।

7. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों पूर्ति हेतु खरीद, दान, पट्टे आदि के द्वारा भूमि अर्जित करना अथवा भवन निर्माण एवं अस्थायी सम्पत्तियों का निर्माण करना।

8. यह कि समाज को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण, आपदा प्रबन्ध आदि जनहित कार्यो के लिए जागरूक करना।

9. यह कि स्कूल पब्लिक स्कूल, कालिज तकनीकी आई0टी0आई0 जे0ई0 व फार्मा शिक्षण संस्थाओ की स्थापना व संचालन कराना। सभी प्रकार के स्कूल व ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षण प्रशिक्षण तथा बी0टी0सी0, बी0एड0 प्रबन्धन आदि के शिक्षा सम्बन्धी सभी कोर्स हेतु कालिजो की स्थापना करना व संचालन करना।

10.शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

11.शैक्षिक किताबों व पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हास्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

12.मेडिकल कालिज, डेन्टल कालिज एवं अस्पताल व विश्व विद्यालय की स्थापना व संचालन करना।

13.इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना व संचालन करना।

14.अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क सहायता आदि प्रदान करना तथा सरकार से प्राप्त करके बच्चो को देना।

15.सरकारी सहायता/गैर–सरकारी सहायता/विदेशी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाईजी बनाकर उसे बढाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियो को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।

16.अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओ का संचालन एवं स्थापना करना।

17.प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों मे पेड लगाना जिससे प्रदुषण कम हो खाली पडी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढे और अवैध कब्जे भी न हो पाये।

18.निरीह प्राणियो, पशु एवं पक्षियो की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयो की स्थापना व व्यवस्था करना।

19.स्कूल व कालिज मे छात्रों/छात्राओं को पर्यावरण के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

20.कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

21.समस्त मानव एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना।

22.ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए भूमि क्रय करना, ट्रस्ट द्वारा क्रय शुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

23.ट्रस्ट का उद्देश्य की आय बढाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना।

24.ट्रस्ट का उद्देश्य योग, आध्यात्म, गौ–रक्षा एवं वैदिक संस्कृति का प्रचार करना।

25.छात्र एवं छात्राओं के उत्थान हेतु सभी प्रकार के शिक्षक–प्रशिक्षण विद्यालय, महाविद्यालय खोलना एवं संचालन करना।

26.छात्र एवं छात्राओं के उत्थान हेतु सभी प्रकार के मैनेजमेन्ट कोर्स के महाविद्यालय खोलना एवं संचालन करना।

27.छात्र एवं छात्राओं को उपयोगी नागरिक बनाने हेतु ग्रहस्थ जीवन, उपयोगी कला कौशल आयुर्वेदिक विज्ञान, शिशु–पालन पाक शास्त्र, सिलाई, कढाई, बुनाई, रंगाई हथकरघा आदि एवं क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा का प्रबन्धक करना।

28.सी0बी0एस0सी0 व आई0सी0एस0सी0 व यूपी बोड की कक्षा 1 से 12 तक पब्लिक स्कूलों की स्थापना करना व प्रबन्ध व नियन्त्रण व संचालन करना।

29.ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे निरक्षरता को दूर करने हेतु विद्यालय खोलना एवं संचालन करना व खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना व संचालन करना तथा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराना।

30.समाज मे शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्तर से उच्चतम स्तर तक के शिक्षण संस्थाओ की स्थापना कराना तथा उसका संचालन करना।

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

31.समाज के पिछडे हुए और उपेक्षित वर्ग के लोगो के शैक्षणिक सामाजिक विकास हेतु प्रयत्न करना। छात्रवासो, वृद्धाश्रम, नारी निकेतन व बालसदन विद्यालयों स्कूलों एवं खेलकूद शिक्षण संस्थानो की स्थापना सर्वधन एवं प्रोत्साहन प्रदान करना व प्रबन्ध नियन्त्रण व संचालन करना।

32.वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो और वैधानिक हो।

33.गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न जगहों पर शिविर लगाना, दवाईया का वितरण करना, रोगो की जॉच करना एवं उचित इलाज हेतु चिकित्सक उपलब्ध कराना।

34.इस ट्रस्ट की स्थापना धर्मार्थ् कार्यो हेतु की गयी है ट्रस्ट की सभी आय एवं निधियो एवं सम्पत्तियो का प्रयोग केवल ट्रस्ट के उददेश्यो की प्राप्ति हेतु ही किया जायेगा। ट्रस्ट की निधियो एवं सम्पत्तियो का प्रयोग आयकर अधिनियम 1961 की धाराओ एवं उपबन्धो और उनमे किए गये संशोधनो के अनुसार ही किया जायेगा।

कार्यक्षेत्र–

यह कि ट्रस्ट/न्यास का कार्य क्षेत्र सभी जिलो एवं सभी राज्यो व समस्त भारतवर्ष मे होगा तथा आवश्यकता पडने पर ट्रस्ट की शाखाएँ विदेश मे भी खोली जा सकेगी तथा शाखाएँ ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए तहसील स्तर या जिला स्तर पर व सम्पूर्ण भारत मे स्थापित की जा सकती है।

ट्रस्ट की निधियॉ–

ट्रस्ट की निधियों व निम्नलिखित सम्मिलित होगा।

1. संस्थापक ट्रस्टीज द्वारा दिया गया दान।
2. समाज के अन्य व्यक्तियो द्वारा दिया गया।
3. ट्रस्ट द्वारा अपने उद्देश्यो की पूर्ति हेतु कराये गये कार्यक्रमों से दान स्थापित इकाई की आय तथा ब्याज से प्राप्त आय व अनुदान आदि।
4. ट्रस्ट की निधियों सें प्राप्त ब्याज आदि।
5. सरकारी/गैर–सरकारी स्वायत संस्थाओ व्यापारिक संस्थाओ से प्राप्त दान/अनुदान, उपहार, नकद अथवा किसी भी प्रकार की सम्पत्ति इत्यादि।
6. अन्य आय।

प्रबन्धन–

1. ट्रस्ट का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किया जायेगा जिसके प्रथम आजीवन सदस्य उपरोक्त दिये हुए संस्थापक एवं ट्रस्टीज होगें।
2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की संख्या न्यूनतम 2 व अधिकतम 10 होगी। यदि कोई सदस्य ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यो के विरूद्ध कार्य करेगा तो अध्यक्ष व सचिव व संस्थापक तीनो उसे अयोग्य घोषित कर उसका निष्कासन कर देगें ऐसे निर्णय पर संस्थापक की सहमति आवश्यक एवं निर्णायक होगी।
3. ट्रस्ट के कार्यो के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी निर्णय बहुमत के आधार पर किए जायेगें किसी भी विवाद अथवा असहमति की स्थिति मे संस्थापक का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

4. यदि कोई ट्रस्ट से प्रथक होना चाहे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बहुमत के आधार पर उसका त्यागपत्र स्वीकार कर सकेगा एवं उसके रिक्त स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नामांकन कर सकता है। ऐसे निर्णय पर संस्थापक की सहमति अनिवार्य होगी।

5. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक के लिए सदस्यो की न्यूयतम संख्या 3 अथवा सम्पूर्ण सदस्यो की संख्या का 1/3 दोनो मे से जो भी अधिक हो होगी।

6. विशेष परिस्थिति मे किसी भी प्रस्ताव का निर्णय सदस्यो को लिखित रूप से प्रस्ताव भेजकर किया जा सकता है ऐसे सभी प्रस्तावो पर आधे से अधिक सदस्यो की सहमति से वह प्रस्ताव सुचारू रूप से पारित माना जायेगा परन्तु ऐसे सभी प्रस्तावो पर अध्यक्ष व सचिव व कोषाध्यक्ष की सहमति अनिवार्य होगी।

ट्रस्टी एवं उनकी नियुक्ति–

1. ट्रस्ट के संस्थापक एवं उपरोक्त ट्रस्टी ट्रस्ट के प्रथम आजीवन ट्रस्टी होगें। निम्न परिस्थितयो मे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को बहुमत के आधार पर अधिकार होगा कि वह ट्रस्टी को ट्रस्ट की सदस्यता से निष्कासित कर दे व उसके स्थान पर किसी नये सदस्य को ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण करवा सकें।

अ. ट्रस्ट के उददेश्यो के विरूद्ध कार्य करना।

ब. पागल व दिवालिया होने पर।

2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को बहुमत के आधार पर यह अधिकार होगा कि वह समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियो को भी समय–समय पर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने के लिए आमन्त्रित कर सकते है।

अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार–

1. ट्रस्ट के अन्तर्गत स्थापित शिक्षा संस्थाओ व अन्य संस्थानो के अध्यक्ष स्वंय रहेगें या अन्य किसी को अधिकृत करेंगे तथा शिक्षण संस्थाओ के लिए कमेटियो निदेशक एवं अन्य कर्मिको की नियुक्त बोर्ड की सहमति से करना।

2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठको की अध्यक्षता करना।

3. विषय सूची के बाहर कोई भी प्रस्ताव रखने की स्वीकृति प्रदान करना।

4. ट्रस्ट की तरफ से इकरारनामा/बैनामा कराना।

5. बैंक या अन्य किसी संस्था से ऋण लेना तथा न्यायालय मे या सरकारी दफ्तरो मे ट्रस्ट के कार्यो की पैरवी करना।

6. किसी भी शिक्षण संस्था मे कमेटी गठित करना।

7. संस्था की तरफ से पत्र व्यवहार करना एवं न्यायालय एवं अन्य सभी सरकारी/गैर–सरकारी विभाग सम्बन्धी कार्य करना।

उपाध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष के समस्त कार्य एवं अधिकार उपाध्यक्ष द्वारा किए जायेगें।

सचिव के कार्य एवं अधिकार–

1. ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व सचिव का होगा।

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अथवा उसकी समिति, उपसमितियों की बैठक बुलाना एवं उन बैठको मे उपस्थित रहकर उनका ब्यौरा रखना।

3. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के समस्त प्रस्तावो की कार्यवाही रजिस्टर मे लिखना एवं भविष्य की योजनाओ से बोर्ड को अवगत कराना एवं अनुमति प्राप्त करना।

4. ट्रस्ट की तरफ से इकरारनामा/बैनामा कराना।

5. ट्रस्ट की तरफ से पत्र व्यवहार करना एवं न्यायालय एवं अन्य सभी सरकारी/गैर सरकारी विभाग सम्बन्धि कार्य देखना।

कोषाध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार–

1. आय–व्यय का लेखा रखना तथा अंकेक्षण कराकर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को प्रस्तुत करना।

2. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के कागजात रखना और उसकी देखभाल करना।

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कार्य एवं अधिकार–

अ. सभी सैद्धान्तिक निर्णय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा बहुमत के आधार पर किए जायेगें।

ब. उपरोक्त सामान्य अधिकारों के अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को निम्न अधिकारी होगें–

1. सचिव द्वारा किए गये आय–व्यय के लेखो को अपनी स्वीकृति प्रदान करना।

2. ट्रस्ट के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु किए गये व्ययो की स्वीकृति प्रदान करना।

3. ट्रस्ट के कार्य हेतु नियम व उपनियमो की रचना करना एवं समय–समय पर उन परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन करना।

4. आवश्यकता पडने पर विशेषज्ञ, सलाहकार अथवा कर्मचारियो की नियुक्ति करना एवं उनके अधिकारों की परिभाषा करना।

5. ट्रस्ट की संचित निधियो को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानो के अनुसार ट्रस्ट के धन को जो तुरन्त अपेक्षित न हो, प्रतिभूमियो या अन्य किसी रीति निवेश हेतु अध्यक्ष एवं सचिव को निर्देशित करना।

6. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी दान, सहायता चाहे सहायता नकद अथवा चल व अचल सम्पत्ति के रूप मे हो, स्वीकार कर सकता है। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की कोई सहायता अथवा दान ट्रस्ट के उद्देश्यो एवं मूल सिद्धान्तो के विपरीत न हो, ट्रस्ट के कोष मे अतिरिक्त धन होने पर राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर अथवा किसी सरकारी उपक्रम मे ही जमा किया जायेगा किसी प्राईवेट कम्पनी आदि मे नही तथा चल व अचल सम्पत्ति जो ट्रस्ट को प्राप्त होगी उसे अधिकृत रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा उसे आवश्यकतानुसार उचित मूल्य मिलने पर ही हस्तान्तरण किया जा सकेगा।

7. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु भूमि अथवा चल व अचल सम्पत्ति का अर्जन या खरीदना एवं उस पर भवन तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण करना।

8. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए अध्यक्ष व सचिव द्वारा किए गये खर्चो की अनुमति प्रदान करना व उनका भुगतान करना।

9. संस्था की आवश्यकताओ के अनुसार बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थानो से ऋण प्राप्त करना एवं ऋण प्राप्त करने की प्रतिभूती हेतु ट्रस्ट की सम्पत्तियो को बन्धक रखना।

10.बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वो ट्रस्ट के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त कार्य आवश्यकतानुसार कर सकें।

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

11.ट्रस्ट की अतिरिक्त चल व अचल सम्पत्ति को उचित मूल्य पर स्थानान्तरित करना।

12.ट्रस्ट को चलाने के लिए समिति, उपसमिति, विशेषज्ञ परामर्शीय व्यक्ति या अभिकर्ता व अर्टानी, जो आवश्यक समझे ऐसे पारिश्रमिक पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनो तथा शर्तो पर जो वह उचित समझे नियुक्त करना और ट्रस्ट के उद्देश्यो की क्रियान्वित करने के लिए ऐसे व्यय करना और इस प्रयोजनो को लिए किसी सदस्य को नियुक्त करने और प्रतिपूर्ति करने की शक्ति सहित समस्त शक्तियो से उसे विनिहित करना।

13.न्यायालय मे या उसके बाहर समस्त वाद, कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियो के संस्थिति करना, प्रतिरक्षा करना और ऐसा कोई या समस्त वाद, कार्यवाही या अन्य कार्यवाहिया, मतभेद और मॉगे मध्यस्थ को निर्दिष्ट करना और ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी लेखो को समायोजित करना, तय करना और उनसे सम्बन्धित सभी कार्य करना।

ट्रस्ट के नियम–

1. बोर्ड आफ ट्रस्टी की मीटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगें अथवा उनकी अनुपस्थिति मे बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे।
2. बोर्ड की मीटिंग कम से कम 3 माह मे एक बार अवश्य करनी होगी। बोर्ड की बैठक के लिए न्यूनतम 3 सदस्य अथवा कुल सदस्यों का 1/3 जो भी अधिक हो की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होगा। किसी परिस्थिति मे समान बहुमत के होने पर निर्णय करने की अधिकार संस्थापक को होगा।
5. विशेष परिस्थितियो मे बैठक मे प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव डाक द्वारा सभी सदस्यो को वितरित किया जायेगा। ऐसे प्रस्तावो के पारित माने जाने हेतु कम से कम आधे सदस्यो एवं संस्थापक की अनुमति अनिवार्य होगी।

बैंक खाते व उनका संचालन–

ट्रस्ट के कोष के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक मे खाते खोले जायेगे यह खाते आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि के लिए चालू खाता अथवा सावधि खाता किसी भी रूप मे खोले जा सकते है इन खातो का संचालन संस्थापक/अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष मे से दो के हस्ताक्षरो से होगा।

ऋण व्यवस्था–

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को अधिकार होगा कि ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार बैंक, वित्तीय संस्थाओ अथवा अन्य किसी व्यक्ति से ऋण स्वीकार कराये जाये एवं इनकी प्रतिभूति के लिए ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति बंधक रखे।

लेखा व अंकेक्षण–

1. ट्रस्ट के खाते व अन्य अभिलेख कोषाध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से रखे जायेगें कोषाध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विधि सम्मत वार्षिक लेखे तैयार करके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को प्रस्तुत करें।
2. ट्रस्ट के वार्षिक लेखे प्रतिवर्ष चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित कराये जायेगे एवं अंकेक्षण का व्यय ट्रस्ट वहन किया जायेगा।

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

समापन–

1. ट्रस्ट के सदस्य किसी भी स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रो मे किसी अन्य ट्रस्ट, संस्था या धर्माथ संस्था को जिसके उददेश्य इस विलेख के उददेश्यो के समान हो इस आशय और प्रभाव के साथ कि ऐसा अन्य ट्रस्ट संस्था या धर्मार्थ संस्था इस विलेख द्वारा सर्जित न्यास का अनिवार्य अंक माना जायेगा। इस विलेख द्वारा सर्जित इस न्यास के साथ सभा मे लिप्त करने के लिए अनुज्ञात करने और मंजूरी देते हुए स्वतंत्र होगें परन्तु ऐसी कोई भी शर्त स्वीकार नही की जायेगी जिनमे इस ट्रस्ट के नाम मे परिवर्तन अर्न्तविलित हो या जो ट्रस्ट के उददेश्यो से असंगत या प्रतिकूल हो।
2. यदि किसी कारणवश यह ट्रस्ट समाप्त हो जाता है तब ऐसी दशा मे ट्रस्ट की सभी सम्पत्ति जो भी दायित्व या देनदारी के बाद बँच जाती है वह ट्रस्टीयो का न बांटकर बल्कि किसी ऐसी ही संस्था या ट्रस्ट को जिसके उददेश्य इस ट्रस्ट के समान हो को संस्थापक व अध्यक्ष व सचिव तीनो की सहमति से सोंप दी जायेगी।

समापन–

ट्रस्ट द्वारा शिक्षण संस्थान (स्कूल) खोले जाने पर निम्न प्रतिबन्ध मा य होगें:–

1. स्कूल प्रबन्ध समिति मे शिक्षा विभाग द्वारा नामित सदस्य शामिल किया जायेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा अनुसूचित/पिछडी जाति/जनजाति का आरक्षण एवं फीस आदि का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित नियमो के आधार पर किया जायेगा।
3. स्कूल किसी भी दशा मे राज्य सरकार से अनुदान क़ी मॉग नही करेगा।
4. माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 से सम्बद्धता प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त मान्यता स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी।
5. कर्मचारियो के वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमो के आधार पर दिये जायेगें।

गवाह–

1– ब्रजपाल पुत्र श्री ब्रहम सिंह
निवासी ग्राम सिकन्दपुर।
ADHAR NO. 6449 4547 5672 MOB.NO. 6397706570

ब्रजपाल

ब्रजपाल

2– अरविन्द पुत्र श्री जयपाल
निवासी ग्राम सिकन्दरपुर।
ADHAR NO. 8701 3462 8001 MOB.NO. 9758497452

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

अरविन्द कुमार

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

अरविन्द कुमार

6. कर्मचारियो की सेवा पुस्तिका राज्य सरकार के नियमानुसार रखी जायेगी।
7. ट्रस्ट समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगा।
8. स्कूल के लेखा पुस्तिका आदि का रख–रखाव शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार किया जायेगा।

इस वास्ते यह ट्रस्ट डीड लिखा दी है कि प्रमाण रहे और काम आवें। ड्राफ्टकर्ता– नितिन कुमार जैन एडवोकेट कैराना। स्थान– कैराना। दिनांक– 10.05.2019

Nitin Kumar Jain
ADVOCATE
Reg. No.-7767/2014
CIVIL COURT KAIRANA

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

6. कर्मचारियो की सेवा पुस्तिका राज्य सरकार के नियमानुसार रखी जायेगी।
7. ट्रस्ट समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करेगा।
8. स्कूल के लेखा पुस्तिका आदि का रख–रखाव शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार किया जायेगा।

इस वास्ते यह ट्रस्ट डीड लिखा दी है कि प्रमाण रहे और काम आवें। ड्राफ्टकर्ता– नितिन कुमार जैन एडवोकेट कैराना। स्थान– कैराना। दिनांक– 10.05.2019

Nitin Kumar Jain
Reg. No.-
CIVIL COURT KAIRANA

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

आवेदन सं०: **201900706005776**

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 22 के पृष्ठ 133 से 162 तक क्रमांक 33 पर दिनाँक 10/05/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्ष

तरूण शर्मा प्र०

उप निबंधक : कैराना

शामली

10/05/2019

IV 15/2021

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

E-STAMP Verified By

E-STAMP Locked By

Certificate No.	:	IN-UP73348159966957T
Certificate Issued Date	:	21-Sep-2021 03:29 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14137704/ KAIRANA/ UP-SML
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14137704357154128476297
Purchased by	:	DEVENDRA KUMAR SON OF RAMPAL SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	TRUST DEED
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DEVENDRA KUMAR SON OF RAMPAL SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	DEVENDRA KUMAR SON OF RAMPAL SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

PRAVEEN KUMAR Tehsil Kairana Acc Code- UP14137704

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

Please write or type below this line

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

QT 0002621687

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

पूरक न्यास विलेख

1. ई–स्टाम्प — 1,000 / –रू0
2. प्रमाण पत्र नं0 — IN- UP73348159966957T

यह पूरक न्यास विलेख आज दिनांक 22.09.2021 को देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर परगना झिंझाना तहसील ऊन जिला शामली राज्य उत्तर प्रदेश (आ0नं0 XXXX XXXX 8935)मो0 नं0 9758066516 जो इस ट्रस्ट के संस्थापक / प्रबन्धक है के द्वारा उनके द्वारा की गई मूल ट्रस्ट विलेख दिनांक 10.05.2019 को निष्पादित की गई थी जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक कैराना मे बही संख्या 4 जिल्द सं0 22 के पृष्ठ 133 / 162 तक क्रमांक 33 पर दि0 10.05.2019 पर दर्ज है के साथ यह पूरक न्यास विलेख पठनीय है। संस्थापक ने इस पूरक न्यास विलेख द्वारा मूल न्यास विलेख मे पेज दो पर अंकित नम्बर दो व नम्बर पॉच के सदस्यगण अरविन्द कुमार व सचिन कुमार को मूल ट्रस्ट से हटा कर इन के स्थान पर दो नये सदस्यगण ट्रस्ट मे शामिल किये गये है जो इस प्रकार है।

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

आवेदन सं०: 202101039003848

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 15 वर्ष: 2021

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 160

श्री देवेन्द्र कुमार ,
पुत्र श्री रामपाल सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: नि० ग्राम सिकन्दरपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 22/09/2021 एवं 01:32:09 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सत्यपाल सिंह प्र0
उप निबंधक :उन्
शामली
22/09/2021

अरुण . कुमार
निबंधक लिपिक

कार्यालय उप निबंधक ... शामली
उत्तर प्रदेश

2. पवन कुमार पुत्र श्री ओमवीर सिंह नि0 मौ0 नोतना ऊन जिला शामली (सचिव)।

5. श्रीमती शालू कुमारी पत्नि श्री पवन कुमार नि मौ0 नोतना ऊन जिला शामली (सदस्य)।

इस के अलावा मूल ट्रस्ट विलेख के पेज नम्बर 10 पर दर्ज लेखा व अंकेक्षण के दोनो उपबिन्दु के बाद निम्नलिखित अन्य नियम जोडे जाते है ।

अन्य नियम – संस्था द्वारा संचालित विघालय की सी0बी0एस0ई0 दिल्ली से सम्बद्धता लेने की दशा मे निम्न प्रतिबन्धों का पालन समिति द्वारा किया जायेगा।

1.विधालय की पंजीकृत सोसाइटी– ट्रस्ट का समय – समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2.विधालय के प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3.विधालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयो मे विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4.संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व मे विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली / काउन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

आवेदन सं०: 202101039003848

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 15 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

श्री देवेन्द्र कुमार, पुत्र श्री रामपाल सिंह

निवासी: नि० ग्राम सिकन्दरपुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री मंथक जैन , पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार जैन

निवासी: नि० जैन मौहल्ला शामली

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता : 2

श्री नितिन कुमार जैन . पुत्र श्री सुभाष चंद जैन

निवासी: नि० मौ० सरावज्ञान कैराना

व्यवसाय: वकालत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

सत्यपाल सिंह प्र0
उप निबंधक : उन्
शामली

अरुण . कुमार
निबंधक लिपिक

उत्तर प्रदेश

5.संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो /तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तो नही दिये जायेगे।

6.कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माघ्यामिक विधालय के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ कराये जायेगे।

7.राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उसका पालन करेगी।

8.विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ मे रखा जायेगा।

9.उक्त शर्तो मे बिना शासन के पूर्वनुमोदन के कोई परिर्वतन / परिवर्द्धन संशोधन नही किया जायेगा।

डा० मयंक जैन डा० श्री जितेन्द्र कुमार जैन
नि० जैन मोहल्ला शामली

नितिन कुमार जैन पुत्र
श्री कुमारचन्द जैन
मौ० मिश्रान कैराना

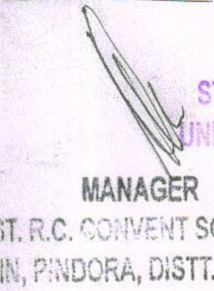

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

अब इस पूरक न्यास विलेख के बाद संस्थापक/प्रबन्धक सहित कुल सदस्यो की सूची इस प्रकार है।

क्र0	नाम	लिंग व आयु	व्यवसाय	पद	नागरिकता
1.	देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामपाल सिंह	42पुरूष	सामाजिक कार्य	संस्थापक/ प्रबन्धक	भारतीय
2.	अमित कुमार पुत्र श्री चैनपाल सिंह	37 पुरूष	सामाजिक कार्य	अध्यक्ष	भारतीय
3.	पवन कुमार पुत्र श्री ओमवीर सिंह	38 पुरूष	सामाजिक कार्य	सचिव	भारतीय
4.	विजय कुमार पुत्र श्री ब्रजपाल सिंह	35 पुरूष	सामाजिक कार्य	कोषाध्यक्ष	भारतीय
5.	प्रवीन कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह	45 पुरूष	सामाजिक कार्य	उपाध्यक्ष	भारतीय
6.	श्रीमती शालू कुमारी पत्नि श्री पवन कुमार	35 महिला	सामाजिक कार्य	सदस्य	भारतीय
7.	योगेश कुमार पुत्र श्री रामपाल सिंह	45 पुरूष	सामाजिक कार्य	सदस्य	भारतीय
8.	मनीष कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह	48 पुरूष	सामाजिक कार्य	उपाध्यक्ष	भारतीय
9.	विपिन कुमार पुत्र श्री बिरम सिंह	45 पुरूष	सामाजिक कार्य	सदस्य	भारतीय
10.	चैनपाल सिंह पुत्र श्री कदम सिंह	75 पुरूष	सामाजिक कार्य	सदस्य	भारतीय
11.	उदयवीर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह	60 पुरूष	सामाजिक कार्य	सदस्य	भारतीय

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

उपरोक्त पूरक न्यास विलेख मूल न्यास विलेख जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक कैराना मे बही संख्या 4 जिल्द सं0 22 के पृष्ठ 133/162 तक क्रमांक 33 पर दि0 10.05.2019 पर दर्ज है के साथ यह पूरक न्यास विलेख पठनीय है।

इस वास्ते यह पूरक न्यास विलेख लिखा दिया ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। ड्राफ्टकर्ता – नितिन कुमार जैन एडवोकैट स्थान – ऊन दिनांक 21.09.2021

NKumar

Nitin Kumar Jain
Advocate
Reg. No.UP7767/2003
C.O.P. No.050898 of 2018
Civil Court Kairana (Shamli)

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

PRINCIPAL
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

MANAGER
ST. R.C. CONVENT SCHOOL
UNN, PINDORA, DISTT.-SHAMLI

आवेदन सं०: 202101039003848

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 1 के पृष्ठ 195 से 206 तक क्रमांक 15 पर दिनाँक 22/09/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सत्यपाल सिंह,प्र0
उप निबंधक : उन्
शामली
22/09/2021